भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/आरएसएस/77/5/2024 10 मई, 2024
Ref.: IRDAI/ NL/CIR/RSS/77/5/2024 10th May, 2024

ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र
Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations

अध्याय – I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

क) यह मास्टर परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 9 के अधीन जारी किया जाता है। यह मास्टर परिपत्र ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र के रूप में जाना जाएगा।

ख) यह मास्टर परिपत्र सभी जीवन, साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू है।

2. इस मास्टर परिपत्र के प्रयोजन के लिए परिभाषाएँ

(क) "विनियम" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 अभिप्रेत हैं;

(ख) "साधारण बीमाकर्ता - 1" से स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई), कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को छोड़कर अन्य साधारण बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं।

(ग) "साधारण बीमाकर्ता - 2" से एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित साधारण बीमाकर्ता अभिप्रेत हैं।

अध्याय – II
ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में दायित्वों की गणना करने की कार्यपद्धति

3. किसका मापन किया जाना चाहिए

क. जीवन बीमा – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए

i. सभी जीवन बीमाकर्ता आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 4(ए)(क), 5 और 7 के अनुसार जीवनों के न्यूनतम प्रतिशत का बीमा करेंगे। उक्त बीमाकर्ता ध्यान रखें कि उक्त दायित्व न्यूनतम हैं तथा

जिन ग्राम पंचायतों को समाविष्ट करने के लिए वे चयन करते हैं उनकी समूची परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए।

ii. जीवन बीमा परिषद पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्श करके ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करेगी। ग्राम पंचायतों की पहचान करने के बाद, जीवन बीमा परिषद पारस्परिक तौर पर सहमति-प्राप्त मानदंडों, जैसे बाजार अंश या किसी अन्य मानदंड, के आधार पर प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता को न्यूनतम ग्राम पंचायतों की संख्या निर्दिष्ट करेगी। उक्त परिषद सभी जीवन बीमाकर्ताओं के साथ प्रत्येक वर्ष 10 मई तक उपर्युक्त सूचना को साझा करेगी। इस प्रकार करते समय, जीवन बीमा परिषद इस प्रकार से सारे भारत में कवरेज की व्याप्ति करने के लिए सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य/संघराज्य क्षेत्र (यूटी) प्रतिनिधित्व के बिना छूट न जाए।

iii. प्रत्येक बीमाकर्ता के द्वारा कवर की जानेवाली ग्राम पंचायतों की संख्या का निर्धारण किये जाने के बाद, बीमाकर्ता अपने चयन के राज्य/राज्यों में दायित्वों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करेंगे तथा उन ग्राम पंचायतों के नाम अन्य जीवन बीमाकर्ताओं और जीवन बीमा परिषद के साथ साझा करेंगे। फिर जीवन बीमा परिषद सुनिश्चित करेगी कि एक बीमाकर्ता के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य बीमाकर्ता के द्वारा न किया जाए।

iv. प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, जीवन बीमा परिषद उक्त सूची को आईआरडीएआई के साथ प्रत्येक वर्ष 15 मई तक साझा करेगी।

ख. साधारण बीमा – साधारण बीमाकर्ता – 1 के लिए

i. सभी साधारण बीमाकर्ता – 1 क) अग्नि बीमा के अंतर्गत निवास स्थानों और दुकानों; तथा ख) मोटर बीमा के अंतर्गत आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम (ए)(ख), 5 और 7 के अनुसार वाहनों के न्यूनतम प्रतिशत का बीमा करेंगे। बीमाकर्ता ध्यान रखें कि उक्त दायित्व न्यूनतम हैं तथा जिन ग्राम पंचायतों का चयन वे कवर करने के लिए करते हैं उनकी समूची परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए।

ii. साधारण बीमा परिषद पारस्परिक तौर पर सहमति-प्राप्त मानदंडों, जैसे बाजार अंश अथवा किसी अन्य मानदंड के आधार पर प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता – 1 को ग्राम पंचायतों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करेगी तथा उक्त सूचना को सभी साधारण बीमाकर्ताओं – 1 के साथ प्रत्येक वर्ष 10 मई तक साझा करेगी। इस प्रकार करते समय, साधारण बीमा परिषद सारे भारत में कवरेज को व्याप्त करने के लिए इस प्रकार से सभी राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य/संघराज्य क्षेत्र (यूटी) प्रतिनिधित्व के बिना छूट न जाए।

iii. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता - 1 के द्वारा कवर की जानेवाली ग्राम पंचायतों की संख्या का निर्धारण किये जाने के बाद, बीमाकर्ता अपने चयन के राज्य/राज्यों में दायित्वों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करेंगे तथा उन ग्राम पंचायतों के नाम अन्य

साधारण बीमाकर्ताओं – 1 और साधारण बीमा परिषद के साथ साझा करेंगे। फिर साधारण बीमा परिषद सुनिश्चित करेगी कि एक साधारण बीमाकर्ता – 1 के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता - 1 के द्वारा न किया जाए।

iv. ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, साधारण बीमा परिषद उक्त सूची को आईआरडीएआई के साथ प्रत्येक वर्ष 15 मई तक साझा करेगी।

ग. स्वास्थ्य बीमा – साधारण बीमाकर्ता – 2 के लिए

i. सभी साधारण बीमाकर्ता – 2 क) स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत जीवनों के न्यूनतम प्रतिशत का बीमा तथा ख) आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 4 (ए)(ग), 5 और 7 के अनुसार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा करेंगे। बीमाकर्ता ध्यान रखें कि उक्त दायित्व न्यूनतम हैं तथा उन्हें कवर करने के लिए वे जिन ग्राम पंचायतों का चयन करते हैं उनकी समूची परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए।

ii. साधारण बीमा परिषद पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परामर्श करके ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करेगी। ग्राम पंचायतों की पहचान करने के बाद, साधारण बीमा परिषद पारस्परिक तौर पर सहमति-प्राप्त मानदंडों, जैसे बाजार अंश या किसी अन्य मानदंड, के आधार पर प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता - 2 को न्यूनतम ग्राम पंचायतों की संख्या निर्दिष्ट करेगी। उक्त परिषद सभी साधारण बीमाकर्ताओं – 2 के साथ प्रत्येक वर्ष 10 मई तक उपर्युक्त सूचना को साझा करेगी। इस प्रकार करते समय, साधारण बीमा परिषद इस प्रकार से सारे भारत में कवरेज की व्याप्ति करने के लिए सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के पर्याप्त कवरेज को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य/संघराज्य क्षेत्र (यूटी) प्रतिनिधित्व के बिना छूट न जाए।

iii. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता – 2 के द्वारा कवर की जानेवाली ग्राम पंचायतों की संख्या का निर्धारण किये जाने के बाद, बीमाकर्ता अपने चयन के राज्य/राज्यों में दायित्वों की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों की पहचान करेंगे तथा उन ग्राम पंचायतों के नाम अन्य साधारण बीमाकर्ताओं – 2 और साधारण बीमा परिषद के साथ साझा करेंगे। फिर साधारण बीमा परिषद सुनिश्चित करेगी कि एक साधारण बीमाकर्ता – 2 के द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायत का चयन किसी अन्य साधारण बीमाकर्ता – 2 के द्वारा न किया जाए।

iv. ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, साधारण बीमा परिषद उक्त सूची को आईआरडीएआई के साथ प्रत्येक वर्ष 15 मई तक साझा करेगी।

4. मापन कैसे किया जाए

क. जीवन बीमा – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए

i. जीवन बीमाकर्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत से संबंधित जीवनों की संख्या और अन्य विवरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए समन्वय करेंगे। जीवन बीमा परिषद साधारण बीमा परिषद के साथ ही, जीवनों की संख्या से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं की ओर से पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय करे।

ख. साधारण बीमा – साधारण बीमाकर्ता – 1 के लिए

i. किसी ग्राम पंचायत में निवास स्थानों और दुकानों की संख्या उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव से प्राप्त की जा सकती है। अपेक्षित डेटा प्राप्त करने के लिए साधारण बीमा परिषद स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के प्रशासन के साथ समन्वय कर सकती है।

ग. स्वास्थ्य बीमा – साधारण बीमाकर्ता – 2

i. साधारण बीमाकर्ता - 2 प्रत्येक ग्राम पंचायत से संबंधित जीवनों की संख्या और अन्य विवरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल से प्राप्त करेगा। उक्त डेटा प्राप्त करने के लिए ऊपर का खंड 5(क)(i) देखें।

घ. सामान्य – जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता – 1 और साधारण बीमाकर्ता – 2

i. बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ताओं के साथ परामर्श करते हुए ग्राम पंचायतों में कवर किये जानेवाले जीवनों की संख्या संबंधी सूचना की पहचान करने, उसे अभिलिखित करने, समन्वय करने तथा विनिमय करने के लिए तथा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में इसे दोहराने के लिए एक व्यवस्था लागू करेंगे।

ii. ग्राम पंचायत की समूची परिपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बीमाकर्ता ग्राम सरपंच और ग्राम सचिव के साथ घनिष्ठ समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।

5. मापन कब किया जाए

क. सामान्य – जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता – 1 तथा साधारण बीमाकर्ता – 2

i. उक्त परिषदें समन्वय और सूचना का विनिमय करने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सभी जीवन बीमाकर्ताओं और सभी साधारण बीमाकर्ता - 2 के द्वारा बीमा किये गये जीवनों की संख्या तथा सभी साधारण बीमाकर्ता - 1 के मामले में निवास स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या का पता प्रत्येक बीमाकर्ता से अलग से लगाएँगे। जीवन बीमा परिषद सभी जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा बीमा किये गये जीवनों की संख्या तथा साधारण बीमा परिषद सभी साधारण बीमाकर्ता - 2 द्वारा कवर किये गये जीवनों की संख्या तथा सभी साधारण बीमाकर्ता - 1 द्वारा कवर किये गये निवास स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों की संख्या तिमाही आधार पर बीमाकर्ता-वार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेगी। वे यह भी सूचित करेंगे कि ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या क्या है तथा तिमाही के दौरान कितने जीवनों, निवास-स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों को कवर किया गया है। यह सूचना आईआरडीएआई को प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए तथा उनको आबंटित सभी ग्राम पंचायतों के लिए अलग-अलग प्रस्तुत की जाएगी।

ii. संचयी आधार पर आबंटित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा कवर किये जानेवाले जीवनों/ निवास स्थानों और दुकानों / मोटर वाहनों, जैसी स्थिति हो, में कोई भी कमी बीमाकर्ता के द्वारा दायित्वों को पूरा न करने के रूप में देखी जाएगी।

6. अनुपालन की जाँच कैसे की जाए

क. सामान्य – जीवन बीमाकर्ता, स्वास्थ्य बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता 1 तथा साधारण बीमाकर्ता 2

i. इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए, उक्त परिषदें तिमाही आधार पर ग्राम पंचायत में बीमाकर्ताओं के द्वारा बीमा किये गये जीवनों / निवास स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों के विवरण को प्रमाणित करते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव से एक पुष्टीकरण लेने के लिए प्रमाणपत्र का एक सामान्य फार्मेट बनाएँगी। यदि किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव का पद रिक्त है, तो बीमाकर्ता ऐसा प्रमाणपत्र उक्त ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाणीकरण तिमाही आधार पर कवर किये गये जीवनों की संख्याओं की सूचना देने का आधार बनेगा।

ii. ग्राम सचिव से प्राप्त उक्त प्रमाणपत्र उक्त ग्राम पंचायत में बीमा किये गये जीवनों / निवास स्थानों और दुकानों तथा मोटर वाहनों का सबूत होगा तथा इसे इलेक्ट्रानिक फार्मेट में रखा जाएगा और आईआरडीएआई द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय – III
सामाजिक क्षेत्र के संबंध में दायित्वों की गणना करने के लिए कार्यपद्धति

7. जीवन और साधारण बीमाकर्ता – 2 के लिए

क. किसका मापन किया जाए – प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के विनियम 4(बी), 5 और 7 के अनुसार कुल जीवनों के अनुपात के रूप में जीवनों की न्यूनतम संख्या का बीमा करेगा।

ख. मापन कैसे किया जाए

i. सामाजिक क्षेत्र जनसंख्या हेतु डेटा मिलाने के लिए जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करें तथा जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं के साथ साझा करें। वे उक्त विनियमों के विनियम 5(ख) और (ग) में दी गई योजनाओं की वेबसाइट के माध्यम से केन्द्र और राज्य प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तक पहुँचने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से भी संपर्क करें।

ii. यदि संभावित ग्राहक के पास सरकार द्वारा समर्थित कोई पहचान कार्ड नहीं है, तो सामाजिक क्षेत्र के लिए पहचान के सबूत के रूप में बीमाकर्ता संभावित ग्राहक से फोटोग्राफ आदि जैसे उपयुक्त सबूत के द्वारा समर्थित उसके व्यवसाय का स्व-प्रमाणीकरण प्राप्त करें। तथापि, स्व-प्रमाणीकरण के ऐसे मामले उनके कुल सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के 20% से अधिक नहीं होंगे।

ग. **मापन कब किया जाए –** तिमाही की समाप्ति के बाद, प्रत्येक बीमाकर्ता कवर किये गये कुल जीवनों के अनुपात के रूप में "सामाजिक क्षेत्र" की परिभाषा के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या का पता लगायेगा तथा तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर वह आईआरडीएआई को सूचित करेगा।

घ. **अनुपालन की जाँच कैसे की जाए –** बीमाकर्ता "सामाजिक क्षेत्र" की परिभाषा के अनुसार जीवनों के वर्गीकरण को अभिलिखित करने के लिए व्यवस्था करेगा। वह उस स्रोत / डेटाबेस को भी अभिलिखित करेगा जहाँ से "सामाजिक क्षेत्र" के रूप में वर्गीकृत जीवन लिये गये हैं।

अध्याय – IV
मोटर अन्य पक्ष के संबंध में दायित्वों की गणना करने के लिए कार्यपद्धति

8. साधारण बीमाकर्ता – 1 के लिए

क. किसका मापन किया जाए

i. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता - 1 उक्त विनियमों के विनियम 6 और 7 के अनुसार मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि का बीमा करेगा।

ख. मापन कैसे किया जाए

i. साधारण बीमाकर्ता – 1 देश में अबीमाकृत मालवाहक और यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की पहचान करने के लिए बीमा सूचना केन्द्र (आईआईबी) तथा राज्य आरटीए के साथ संपर्क रखेगा।

ii. साधारण बीमाकर्ता – 1 आईआईबी के साथ परामर्श करने के बाद अबीमाकृत मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की सूची बनाएगा जो वाहन की श्रेणी, उसकी पंजीकरण संख्या, मालिक का नाम और राज्य आरटीए जहाँ वह पंजीकृत है, से युक्त होगा।

iii. साधारण बीमा परिषद अपेक्षित डेटा प्राप्त करने के लिए आईआईबी और राज्य आरटीए के साथ समन्वय करे।

ग. मापन कब किया जाए -

i. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता – 1 तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर आईआरडीएआई को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगाः

   क. अबीमाकृत मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों की संख्या तथा उसके द्वारा बीमाकृत ट्रैक्टरों की संख्या तथा

   ख. मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों की संख्या जो पहले से ही उसकी बहियों में हैं और/या अन्य बीमाकर्ताओं की बहियों में हैं तथा उसके द्वारा नवीकृत किये गये हैं।

मोटर अन्य पक्ष बीमा के लिए दायित्वों की गणना बीमाकर्ता-वार करने के लिए।

घ. अनुपालन की जाँच कैसे की जाए -

अनुपालन की जाँच करने के प्रयोजन के लिए, ऊपर 8(ग)(i) में दिये गये डेटा का प्रति-सत्यापन (क्रास-वेरीफिकेशन) अबीमाकृत वाहनों के आईआईबी डेटा बेस के साथ किया जाएगा।

अध्याय – V
विविध

9. **रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ** – आवेदक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र के अनुसार विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – VI
निरसन और बचत

10. यह मास्टर परिपत्र निम्नलिखित दिशानिर्देशों / परिपत्रों का अधिक्रमण करता है:

क्र.सं.	परिपत्र / दिशानिर्देश संदर्भ संख्या	विवरण
1.	आईआरडीएआई/जीवन/विविध/सीआईआर/046/03/2021	आशा कामगारों और मनरेगा कामगारों के संबंध में स्पष्टीकरण
2.	आईआरडीएआई/जीवन/विविध/सीआईआर/130/06/2016	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व के लिए वार्षिक प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट

CHAPTER – I
Preliminary

1. **Short title and commencement:**

a) This master circular is issued under Section 34 of the Insurance Act, 1938, Section 14 of the IRDA Act, 1999 and Regulation 9 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. This master circular shall be known as Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations.

b) The master circular is applicable to all life, general and stand-alone health insurers.

2. Definitions for the purpose of this Master Circular

(a) "Regulations" means Insurance Regulatory and Development Authority of India (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024;

(b) "General Insurer – 1" means General Insurers other than Stand Alone Health Insurers (SAHI), Agriculture Insurance Company (AIC) & Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

(c) "General Insurer – 2" means General Insurers including Stand Alone Health Insurers other than AIC & ECGC.

CHAPTER – II

Methodology of arriving at the obligations with respect to Rural Sector

3. What to Measure

a. Life Insurance – For Life Insurers

i. All life insurers shall insure minimum percentage of lives in accordance with Regulation 4 (A)(a), 5 and 7 of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. The insurers may note that the obligations are the minimum and they should strive to achieve complete saturation of the Gram Panchayats, they choose to cover.

ii. The Life Insurance Council shall, in consultation with Ministry of Panchayati Raj, Government of India, identify the gram panchayats for fulfilling the rural sector obligations. Upon identification of Gram Panchayats, the Life Insurance Council shall indicate the minimum number of Gram Panchayats to each life insurer based on mutually agreed parameters such as market share or any other parameter. The Council shall share the said information to all the life insurers by 10th of May every year. While doing so, the Life Insurance Council shall ensure adequate coverage of gram panchayats in all States and UTs to spread the coverage pan India in such a manner that no State/UT is left unrepresented.

iii. Once the number of gram panchayats to be covered by each insurer is determined, the insurers shall identify the gram panchayats in a State/s of their choice for fulfilment of the obligations and share the names of Gram Panchayats with other life insurers and Life Insurance Council. In turn, Life Insurance Council shall ensure that the gram panchayat selected by one insurer is not selected by any other insurer.

iv. Upon finalisation of the list of Gram Panchayats for each insurer, the Life Insurance Council shall share the list with IRDAI by 15th of May every year.

b. General Insurance – For General Insurer - 1

i. All General Insurer - 1 shall insure minimum percentage of a) dwellings and shops, under fire insurance; and b) vehicles under motor insurance in accordance with Regulation 4 (A)(b), 5 and 7 of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. The insurers may note that the obligations are the minimum and they should strive to achieve complete saturation of the Gram Panchayats, they choose to cover.

ii. The General Insurance Council shall indicate the minimum number of gram panchayats to each general insurer - 1 based on mutually agreed parameters such as market share or any other parameter and share the information to all the general insurer - 1 by 10th of May every year. While doing so, the General Insurance Council shall ensure adequate coverage of gram panchayats in all States and UTs to spread the coverage pan India in such a manner that no State/UT is left unrepresented.

iii. Once the number of gram panchayats to be covered by each general insurer - 1 is determined, the insurers shall identify the gram panchayats in a State/s of their choice for fulfilment of the obligations and share the names of Gram Panchayats with other general insurer - 1 and General Insurance Council. In turn, General Insurance Council shall ensure that the gram panchayat selected by one general insurer - 1 is not selected by any other general insurer - 1.

iv. Upon finalisation of the list of Gram Panchayats, the General Insurance Council shall share the list with IRDAI by 15th of May every year.

c. Health Insurance – For General Insurer - 2

i. All General Insurer - 2 shall insure a minimum percentage of lives under a) health insurance; and b) personal accident insurance in accordance with Regulation 4 (A)(c), 5 and 7 of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024. The insurers may note that the obligations are the minimum and they should strive to achieve complete saturation of the Gram Panchayats, they choose to cover.

ii. The General Insurance Council shall, in consultation with Ministry of Panchayati Raj, Government of India, identify the gram panchayats for fulfilling the rural sector obligations. Upon identification of Gram Panchayats, the General Insurance Council shall indicate the minimum number of Gram Panchayats to each General Insurer - 2 based on mutually agreed parameters such as market share or any other parameter. The Council shall share the said information to all the General Insurer - 2 by 10th of May every year. While doing so, the General Insurance Council shall ensure adequate coverage of gram

panchayats in all States and UTs to spread the coverage pan India in such a manner that no State/UT is left unrepresented.

iii. Once the number of gram panchayats to be covered by each general insurer - 2 is determined, the insurers shall identify the gram panchayats in a State/s of their choice for fulfilment of the obligations and share the names of Gram Panchayats with other general insurer - 2 and General Insurance Council. In turn, General Insurance Council shall ensure that the gram panchayat selected by one general insurer - 2 is not selected by any other general insurer - 2.

iv. Upon finalisation of the list of Gram Panchayats, the General Insurance Council shall share the list with IRDAI by 15th of May every year.

4. How to Measure

a. Life Insurance – For Life Insurers

i. The life insurers shall coordinate to obtain the number of lives and other details pertaining to each gram panchayat from the web portal of the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. The Life Insurance Council along with General Insurance Council may coordinate with Ministry of Panchayati Raj, Government of India on behalf of life insurers for obtaining the data pertaining to number of lives.

b. General Insurance - For General Insurer - 1

i. The number of dwellings & shops and motor vehicles in a gram panchayat may be obtained from the Gram Sachiv of the Gram Panchayat. The General Insurance Council may coordinate with local bodies and State Government Administration for obtaining the required data.

c. Health Insurance - General Insurer - 2

i. General Insurer - 2 shall obtain the number of lives and other details pertaining to each gram panchayat from the web portal of the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. Refer clause 5(a)(i) above for obtaining the data.

d. Common - Life Insurers, General Insurer - 1 and General Insurer - 2

i. The insurers in consultation with other insurers shall put in place a mechanism to identify, record, coordinate and exchange information of the number of lives to be covered in the gram panchayat and replicate across all Gram Panchayats in the State.

ii. To achieve the goal of full saturation of the Gram Panchayat, the insurers shall work in close coordination with the Gram Sarpanch and Gram Sachiv

5. **When to Measure**

a. **Common - Life Insurers, General Insurer - 1 and General Insurer - 2**

i. The Councils after coordinating and exchanging information shall ascertain the number of lives insured by all life insurers and general insurer - 2, and number of dwelling & shops and motor vehicles in case of all General Insurer – 1 from each insurer, separately for each gram panchayat. The Life Insurance Council shall submit the number of lives insured by all life insurers and the General Insurance Council shall submit the number of the lives covered by all General Insurer – 2 and the number of dwelling & shops and motor vehicles covered by all General Insurer – 1 on quarterly basis, insurer-wise, separately for each gram panchayat, within 30 days of end of the quarter to IRDAI. They shall also report what is the total population of the gram panchayat and how many lives, dwellings & shops and motor vehicles are covered in the quarter. This information shall be submitted to IRDAI separately for each insurer and for all the Gram panchayats allotted to them.

ii. Any shortfall in the number of lives/ dwellings & shops/ motor vehicles, as the case may be, to be covered by each insurer in allocated Gram Panchayats, cumulatively, shall be seen as non-fulfilment of the obligations by the insurer.

6. **How to check Compliance**

a. **Common - Life Insurers, Heath Insurers, General Insurer 1 and General Insurer 2**

i. For the purpose of these circular, the Councils shall devise a common format of certificate to take a confirmation from the Gram Sachiv of the Gram Panchayat certifying the details of the lives/ dwellings & shops and motor vehicles insured by the insurers in the Gram Panchayat on a quarterly basis. In case the positon of Gram Sachiv is vacant in any particular Gram Panchayat, the insurers may obtain such certificate from a person authorised to act as Gram Sachiv for the said Gram Panchayat. The certification shall form the basis of reporting of the numbers of lives covered on a quarterly basis.

ii. The certificate from the Gram Sachive shall be the proof of lives/ dwellings & shops and motor vehicles insured in the Gram Panchayat and the same shall be stored in electronic format and made available for verification by IRDAI.

CHAPTER – III

Methodology for arriving at the obligations with respect to Social Sector

7. **For Life and General Insurer - 2**

a. **What to measure** - Every insurer shall insure a minimum number of lives as a proportion of total lives in accordance with Regulation 4(B), 5 and 7 of the IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024.

b. **How to measure**

   i. The Life Insurance Council and General Insurance Council may coordinate with Government agencies to collate data for social sector population and share with life and general insurers. They may also approach the appropriate Authorities to access the list of beneficiaries of various central and/ or state sponsored schemes through the schemes website given in Regulation 5 (b) and (c) of the Regulations.

   ii. In case no government backed identity card is available with the prospect, as a proof of identify for social sector, the insurer may obtain a self-certification from the prospect of his/her profession supported by an appropriate proof such as photographs etc. However, such cases of self-certification shall not exceed 20% of their total social sector obligations.

c. **When to measure** - At the end of the quarter, every insurer shall ascertain the number of lives covered under the definition of "social sector" as a proportion of the total lives covered and report the same within 30 days of end of the quarter to IRDAI.

d. **How to check compliance** - The insurer shall make arrangements to record classification of lives as per the definition of "Social Sector". It shall also record the source / database from where the lives classified as "Social Sector" has been taken.

CHAPTER – IV
Methodology for arriving at the obligations with respect to Motor Third Party

8. **For General Insurer – 1**

a. **What to measure**

   i. Every general insurer -1 shall insure a minimum percentage increase in number of goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors in accordance with Regulation 6 and 7 of the Regulations.

b. **How to measure**

   i. The general insurer - 1 shall engage with the Insurance Information Bureau (IIB) and State RTAs to identify uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors in the country.

ii. The general insurer - 1 in consultation with IIB shall prepare a list of uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors which shall carry the category of vehicle, its registration number, the name of the owner and the State RTA where it is registered.
iii. The General Insurance Council may coordinate with IIB and State RTAs for obtaining the required data.

c. **When to measure –**

i. Every general insurer - 1 shall submit to IRDAI on quarterly basis within 30 days of end of the quarter,

a. the number of uninsured goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors insured by it and,
b. number of goods carrying, passenger carrying vehicles and tractors already on its books and/ or on the books of other insurers and renewed by it

to arrive at the obligations for motor third party insurance, insurer-wise.

d. **How to check compliance –**

For the purposes of checking compliance, the data given in 8(c) (i) above will be cross-verified against the IIB database of uninsured vehicles.

CHAPTER – V
Miscellaneous

9. Reporting requirements –The applicant shall submit to the Authority returns as per Master Circular on submission of returns.

CHAPTER-VI
Repeal and Savings

10. This Master Circular supersedes the following Guidelines/Circulars

Sl. No.	Circular/Guideline Reference Number	Description
1.	IRDAI/Life/MISC/Cir/046/03/2021	Clarification with regard to ASHA workers and MGNREGA workers
2.	IRDAI/Life/MISC/CIR/130/06/2016	Format for submission of Annual Certificates for obligation of Insurers to Rural and Social Sectors

आर. एस. जगपाल

(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)
कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन) / ED (NL)